संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.2/अवि./सेल–दै.वै.भो./2018/23- H भोपाल, दिनांक 08.01.2018

प्रति,

श्री सुभाष टोम्पे,
तत्कालीन वार्डवाय,
वर्तमान में :– कार्यालय जिला मलेरिया अधिकारी,रतलाम,म0.प्र0 ।

व्दाराः– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतलाम,म.प्र.।

विषयः– कारण बताओ सूचना पत्र ।

––0000––

यह कि आप **श्री सुभाष टोम्पे**,तत्कालीन वार्डवाय,कार्यालय जिला मलेरिया अधिकारी,,जिला रतलाम,में,पदस्थ है । आपका नियमितिकरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,रतलाम के आदेश/स्थापना/2012/773–82, रतलाम दिनांक 27.9.2012 के व्दारा वार्डवाय ,के पद पर किया गया था **(परिशिष्ट–एक)** यह कि आप पदोन्नति उपरांत वार्डवाय के पद पर नियमित पद के विरूद्ध कार्यरत है।

यह कि जिला रतलाम मे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम,की अध्यक्षता में दिनांक 22.8.2012 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उपरांत समिति व्दारा आपका नियमितिकरण वार्डवाय, के पद पर किये जाने संबंधी अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र कमांकःएफ–5–3/2006/1/3,भोपाल,दिनांक 16.5.2007 एवं परिपत्र कमांक एफ–5–3/2006 /1/3,भोपाल,दिनांक 6.सितम्बर 2008 के अनुसार **(परिशिष्ट –दौ)** के संदर्भ में की गई थी । उपरोक्त अनुशंसा के आधार पर तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम,व्दारा रिक्त वार्डवाय,के पद पर एन्टी लार्वा जिला मलेरिया कार्यालय रतलाम, में नियमितिकरण आदेश जारी किये गये।

प्रकरण के परीक्षण उपरांत **माननीय सर्वोच्च न्यायालय व्दारा सिविल अपील कमांक 3595–3612/1999 सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरूद्ध उमा देवी एवं अन्य के प्रकरण में दिनांक 10.4.2006 को पारित निर्णय के परिपालन** में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ–5–3/2006/1/2006/1/3/दिनांक 16.5.2007परिपत्र कमांक/एफ 05–3/06/1/3 दिनांक 8.02.2008,परिपत्र कमांक एफःः05–3/06/1/3/दिनांक 23.02.2008,04.04.2008,परिपत्र कमांक एफःएफ–05–3/06/1/3/दिनांक 6 सितम्बर 2008 एवं परिपत्र कमांक एफ 05–3/06/1/3/दिनांक 29.सितम्बर 2014 में उल्लेखित प्रावधानो के अंतर्गत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये है उपरोक्त निर्देशो के माध्यम से **दिनांक 10.04.'2006 की स्थिति में 10 वर्ष की सेवा तथा अन्य मापदण्ड पूर्ण** करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण के संबंध में व्यवस्था दी गई है।

जिला रतलाम के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण हेतु विभागीय छान–बीन समिति की बैठक संचालनालय में दिनांक 31.3.2015 को आयोजित की गई । समिति व्दारा अपने प्रतिवेदन (**परिशिष्ट–पांच**) सरल **कमांक (14)** मे आप **श्री सुभाष टोम्पे**,दैनिक वेतन भोगी,जिला चिकित्सालय रतलाम,में आपकी नियुक्ति दिनांक 30.3.1998 कार्य पर उपस्थिति दिनांक 01.04.1998.से दिनांक 10.04.2006 तक निरंतर सेवा 10 वर्ष से **कम (8 वर्ष 9 दिवस)** होने के कारण नियमितिकरण हेतु अपात्र किये जाने की अनुशंसा की गई है । एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम व्दारा दिनांक 27.09.2012 को नियमित वेतनमान में की गई नियुक्ति आदेश को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की जाकर प्रस्ताव, सचिव,मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल,की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रेषित किया गया ।

निरंतर.....2

शासन स्तर पर गठित विभाग स्तरीय समिति की बैठक **सचिव,मध्यप्रदेश शासन** लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय,भोपाल की अध्यक्षता में दिनांक 7.04.2015 को सम्पन्न हुई । सम्पन्न बैठक के कार्यवाही विवरण के बिन्दु कमांक 3.4 मे यह निर्णय लिया गया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम,नीमच व्दारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कमशः रतलाम जिले की 22.8.2012 एवं नीमच जिले की दिनांक 27.12.2011 अनुशंसाओं के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम के ओदेश कमांक/स्था./2012/773,रतलाम दिनांकः 27.9.2012 के व्दारा नियमितिकरण आदेश को एवं नीमच जिले के आदेश दिनांक 29.12.2011 को जारी कर नियमितिकरण का लाभ प्रदान किया गया है । जबकि इन आदेशो में सम्मिलित कुछ कर्मचारी सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 16.05.2007 मे निर्धारित मापदण्डो अनुसार नियमितिकरण की पात्रता नही रखते थे,जिसमें आप श्री सुभाष टोम्पे,का नाम भी सम्मिलित है ।

चूंकि आपके प्रकरण में जिला रतलाम की विभागीय पदोन्नति समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 22.8.2012 की अनुशंसाओं को सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अध्यक्षता में गतिठत समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 07.4.2015 व्दारा निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है । **(परिशष्ट –तीन)** मे सम्मिलित रतलाम जिले के 04 एवं नीमच जिले के कुल 11 कर्मचारियों के प्रकरणों में विभागाध्यक्ष स्तर से निर्णय लिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय,भोपाल व्दारा आदेश कमांक/एफ 03–03/2016/सत्रह/मेडि–1,भोपाल,दिनांक 04.7.2015 **(परिशिष्ट–चार)** आदेश पारित किये गये कि आदेश के पृष्ट–4,बिन्दु 2.4 में जिला रतलाम एवं नीमच जिले की पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं को निरस्त करते हुये उक्त कर्मचारियों के प्रकरणों में विभागाध्यक्ष स्तर से निर्णय लिया जावे । शासन आदेश के बिन्दु 2.4 की सूची के सरल कमांक **4.** पर आप श्री सुभाष टोम्पे, का नाम अंकित है ।

यह कि आपके नियमितिकरण संबंधी प्रकरण में उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के आधार पर आपके व्दारा **दिनांक 01.4.1998** से दैनिक वेतन भोगी के रूप में सेवा प्रारंभ की गई है । उक्त शासन परिपत्रों में निहित प्रावधान अनुसार दिनांक **10.4.2006** को आपकी निरंतर सेवा अवधि **10** वर्ष से कम **(8 वर्ष 9 दिवस)** होने के कारण,आपका नियमितिकरण आदेश अवैधानिक होना पाया गया है ।

अतः इस सूचना पत्र के माध्यम से आपसे अपेक्षा की जाती है कि सूचना पत्र प्राप्ति उपरांत दिनांक **15.1.2018** को संचालनालय में समक्ष में उपस्थित रहकर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यो न दिनांक 22.8.2012 को जिला रतलाम की विभागीय पदोन्नति समिति बैठक में की गई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण संबंधी अनुशंसा निरस्त करते हुये आपका नियमितिकरण आदेश कमांक/स्थापना/2012/773–82,रतलाम दिनांक 27.9.2012 निरस्त किया जावे ।

यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नही हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नही कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

स्वास्थ्य आयुक्त व्दारा आदेशित ।

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य
सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक.2/अचि./सेल–दै.वै.भो./2018/24 - H भोपाल, दिनांक 08.01.2018

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतः–

1. प्रमुख सचिव,म0प्र0 शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल ।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय ।
3. अतिरिक्त महाधिवक्ता,मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर,म0प्र0 ।
4. कलेक्टर जिला रतलाम, मध्यप्रदेश।
5. उप संचालक,शिकायत/लीगल/गोपनीय,स्थानीय कार्यालय ।
6. क्षैत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवाऐ,उज्जैन सम्भाग उज्जैन,म0प्र0 ।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला, रतलाम की और जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति भेजकर निर्देर्शित किया जाता है कि जारी नोटिस श्री **सुभाष टोम्पे**,तत्कालीन वार्डवाय, कार्यालय जिला मलेरिया अधिकारी,,जिला रतलाम,को तामील कराकर तामीली रिपोर्ट संचालनालय को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से प्रेषित करें ।
8. जिला कोषालय अधिकारी रतलाम,म0प्र0 ।
9. संबंधित **श्री सुभाष टोम्पे**,तत्कालीन वार्डवाय,कार्यालय जिला मलेरिया अधिकारी,जिला रतालम,म0प्र0 ।
10. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की और जारी नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता हैकि जारी नोटिस,विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य
सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक 2/अवि./सेल–दै.वै.भो./2018/21- H भोपाल, दिनांक 08.01.2018

प्रति,

श्री ओंकार लाल,
तत्कालीन वार्डवाय,
कार्यालयः– जिला मलेरिया अधिकारी,रतलाम
वर्तमान मेंः– कार्यालय जिला मलेरिया अधिकारी,रतलाम

व्दाराः– **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतलाम,म.प्र.।**

विषयः– **कारण बताओ सूचना पत्र ।**

—0000—

यह कि आप श्री ओंकार लाल,तत्कालीन वार्डवाय,कार्यालय जिला मलेरिया अधिकारी,,जिला रतलाम,में,पदस्थ है। आपका नियमितिकरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,रतलाम के आदेश/स्थापना/2012/773–82, रतलाम दिनांक 27.9.2012 के व्दारा वार्डवाय ,के पद पर किया गया था **(परिशिष्ट–एक)** यह कि आप पदोन्नति उपरांत वार्डवाय के पद पर नियमित पद के विरूद्ध कार्यरत है।

यह कि जिला रतलाम मे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम,की अध्यक्षता में दिनांक 22.8.2012 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उपरांत समिति व्दारा आपका नियमितिकरण वार्डवाय, के पद पर किये जाने संबंधी अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र कमांकःएफ–5–3/2006/1/3,भोपाल,दिनांक 16.5.2007 एवं परिपत्र कमांक एफ–5–3/2006 /1/3, भोपाल,दिनांक 6.सितम्बर 2008 के अनुसार **(परिशिष्ट–दौ)** के संदर्भ में की गई थी। उपरोक्त अनुशंसा के आधार पर तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम,व्दारा रिक्त वार्डवाय,के पद पर सिविल हास्पिटल जावरा,जिला रतलाम में नियमितिकरण आदेश जारी किये गये।

प्रकरण के परीक्षण उपरांत **माननीय सर्वोच्च न्यायालय व्दारा सिविल अपील कमांक 3595–3612/1999 सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरूद्ध उमा देवी एवं अन्य के प्रकरण में दिनांक 10.4.2006 को पारित निर्णय के परिपालन** में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ–5–3/2006/1/2006/1/3/दिनांक 16.5.2007 परिपत्र कमांक/एफ 05–3 /06/1/3/दिनांक 8.02.2008,परिपत्र कमांक एफ 05–3/06/1/3/दिनांक 23.02.2008,04. 04.2008,परिपत्र कमांक एफ–05–3/06/1/3/दिनांक 6 सितम्बर 2008 एवं परिपत्र कमांक एफ 05–3/06/1/ 3/दिनांक 29 सितम्बर 2014 में उल्लेखित प्रावधानो के अंतर्गत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये है उपरोक्त निर्देशो के माध्यम से **दिनांक 10.04.2006 की स्थिति में 10 वर्ष की सेवा तथा अन्य मापदण्ड पूर्ण** करने वाले देनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण के संबंध में व्यवस्था दी गई है।

जिला रतलाम के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण हेतु विभागीय छान–बीन समिति की बैठक संचालनालय में दिनांक 31.3.2015 को आयोजित की गई। समिति व्दारा अपने प्रतिवेदन **(परिशिष्ट–पांच)** सरल **कमांक (13)** मे आप **श्री ओंकार लाल**,दैनिक वेतन भोगी,जिला चिकित्सालय रतलाम,में आपकी नियुक्ति दिनांक 30.3.1998 कार्य पर उपस्थिति दिनांक 01.04.1998.से दिनांक 10.04.2006 तक निरंतर सेवा 10 वर्ष से **कम (8 वर्ष 9 दिवस)** होने के कारण नियमितिकरण हेतु अपात्र किये जाने की अनुशंसा की गई है एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम व्दारा दिनांक 27.09.2012 को नियमित वेतनमान में की गई नियुक्ति आदेश को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की की जाकर प्रस्ताव,सचिव,मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय,भोपाल,की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रेषित किया गया।

निरंतर.....2

शासन स्तर पर गठित विभाग स्तरीय समिति की बैठक सचिव,मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय,भोपाल की अध्यक्षता में दिनांक 7.04.2015 को सम्पन्न हुई । सम्पन्न बैठक के कार्यवाही विवरण के बिन्दु कमांक 3.4 मे यह निर्णय लिया गया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम,नीमच व्दारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कमशः रतलाम जिले की 22.8.2012 एवं नीमच जिले की दिनांक 27.12.2011 अनुशंसाओं के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,रतलाम के आदेश कमांक/स्था. /2012/773,रतलाम,दिनांक 27.9.2012 के व्दारा नियमितिकरण आदेश को एवं नीमच जिले के आदेश दिनांक 29.12.2011 को जारी कर नियमितिकरण का लाभ प्रदान किया गया है । जबकि इन आदेशो में सम्मिलित कुछ कर्मचारी सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 16.05.2007 मे निर्धारित मापदण्डो अनुसार नियमितिकरण की पात्रता नही रखते थे। जिसमें आप **श्री ओंकार लाल**,का नाम भी सम्मिलित है।

चूंकि आपके प्रकरण में जिला रतलाम की विभागीय पदोन्नति समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 22.8.2012 की अनुशंसाआ को सचिव,मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय,भोपाल की अध्यक्षता में गठित समिति की सम्पन्न बैठक 07.4.2015 व्दारा निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है **(परिशष्ट –तीन)** मे सम्मिलित रतलाम जिले के 04 एवं नीमच जिले के 11 कर्मचारियो के प्रकरणों में विभागाध्यक्ष स्तर से निर्णय लिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय,भोपाल व्दारा आदेश कमांक/एफ 03–03/2016/सत्रह/मेडि–1,भोपाल,दिनांक 04.7.2015 **(परिशिष्ट–चार)** आदेश पारित किये गये है । शासन आदेश के पृष्ट–4,बिन्दु 2.4 में जिला रतलाम एवं नीमच जिले की पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं को निरस्त करते हुये उक्त कर्मचारियों के प्रकरणों में विभागाध्यक्ष स्तर से निर्णय लिया जावे । शासन आदेश के बिन्दु 2.4 की सूची कमांक 3 पर आप **श्री ओंकारलाल**, का नाम अंकित है।

यह कि आपके नियमितिकरण संबंधी प्रकरण में उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के आधार पर आपके व्दारा **दिनांक 01.4.1998** से दैनिक वेतन भोगी के रूप में सेवा प्रारंभ की गई है । उक्त शासन परिपत्रों में निहित प्रावधान अनुसार दिनांक **10.4.2006 को आपकी निरंतर सेवा अवधि 10** वर्ष से कम **(8 वर्ष 9 दिवस)** होने के कारण,आपका नियमितिकरण आदेश अवैधानिक होना पाया गया है।

अतः इस सूचना पत्र के माध्यम से आपसे अपेक्षा की जाती है कि सूचना पत्र प्राप्ति उपरांत **दिनांक 15.1.2018** को संचालनालय में समक्ष में उपस्थित रहकर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यो न दिनांक 22.8.2012 को पदोन्नति समिति की बैठक में की गई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण संबंधी अनुशंसा निरस्त करते हुये आपका नियमितिकरण आदेश कमांक/स्थापना /2012/773–82,रतलाम दिनांक 27.9.2012 निरस्त किया जावे।

यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नही हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नही कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

स्वास्थ्य आयुक्त व्दारा आदेशित ।

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक.2/अचि./सेल–दै.वै.भो./2018/22-H भोपाल, दिनांक 08.01.2018

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतः–

1. प्रमुख सचिव,म.प्र. शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय ।
3. अतिरिक्त महाधिवक्ता,मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर,म0प्र0 ।
4. कलेक्टर जिला रतलाम, मध्यप्रदेश।
5. उप संचालक,शिकायत/लीगल/गोपनीय,स्थानीय कार्यालय ।
6. क्षैत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवाऐ,उज्जैन सम्भाग उज्जैन,म0प्र0 ।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला, रतलाम की और जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति भेजकर निर्देर्शित किया जाता है कि जारी नोटिस श्री ओंकार लाल,तत्कालीन वार्डवाय, कार्यालय जिला मलेरिया अधिकारी,,जिला रतलाम,को तामील कराकर तामीली रिपोर्ट संचालनालय को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से प्रेषित करें ।
8. जिला कोषालय अधिकारी रतलाम,म0प्र0 ।
9. संबंधित **श्री ओंकार लाल**,तत्कालीन वार्डवाय,कार्यालय जिला मलेरिया अधिकारी,जिला रतालम,म0प्र0 ।
10. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की और जारी नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता हैकि जारी नोटिस,विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.2/अचि./सेल–दै.वै.भो./2018/19-H भोपाल, दिनांक 08.01.2018

प्रति,

श्री मो. अनवर,
तत्कालीन वार्डवाय,
वर्तमान में :– सिविल हास्पिटल जावरा,जिला रतलाम,म0प्र0 ।

व्दाराः– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतलाम,म.प्र.।

विषयः– कारण बताओ सूचना पत्र ।

––0000––

यह कि आप श्री मो.अनवर,तत्कालीन वार्डवाय,सिविल हास्पिटल जावरा,जिला रतलाम,में,पदस्थ है। आपका नियमितिकरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,रतलामं के आदेश/स्थापना/2012/773–82, रतलाम दिनांक 27.9.2012 के व्दारा वार्डवाय ,के पद पर किया गया था **(परिशिष्ट–एक) यह कि आप** पदोन्नति उपरांत वार्डवाय के पद पर नियमित पद के विरूद्ध कार्यरत है।

यह कि जिला रतलाम मे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम,की अध्यक्षता में दिनांक 22.8.2012 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उपरांत समिति व्दारा आपका नियमितिकरण वार्डवाय, के पद पर किये जाने संबंधी अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र कमांकःएफ–5–3/2006/1/3,भोपाल,दिनांक 16.5.2007 एवं परिपत्र कमांक :एफ–5–3/2006 /1/3,भोपाल,दिनांक 6 सितम्बर 2008 के अनुसार **(परिशिष्ट –दौ)** के संदर्भ में की गई थी। उपरोक्त अनुशंसा के आधार पर तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम,व्दारा रिक्त वार्डवाय,के पद पर सिविल हास्पिटल जावरा,जिला रतलाम में नियमितिकरण आदेश जारी किये गये।

प्रकरण के परीक्षण उपरांत **माननीय सर्वोच्च न्यायालय व्दारा सिविल अपील कमांक 3595–3612/1999 सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरूद्ध उमा देवी एवं अन्य के प्रकरण में दिनांक 10.4.2006 को पारित निर्णय के परिपालन** में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ–5–3/2006/1/2006/1/3/दिनांक 16.5.2007परिपत्र कमांक/एफ 05–3/06/1/3/दिनांक 8.02.2008,परिपत्र कमांक एफःः05–3/06/1/3/दिनांक 23.02. 2008,04.04.2008,परिपयत्र कमांक एफःएफ–05–3/06/1/3/दिनांक 6 सितम्बर 2008 एवं परिपत्र कमांक एफःः05–3/06/1/3/दिनांक 29.सितम्बर 2014 में उल्लेखित प्रावधानो के अंतर्गत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये है उपरोक्त निर्देशो के माध्यम से दिनांक 10.04.'2006 की स्थिति में 10 वर्ष की सेवा तथा अन्य मापदण्ड पूर्ण करने वाले देनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण के संबंध में व्यवस्था दी गई है।

जिला रतलाम के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण हेतु विभागीय छान–बीन समिति की बैठक संचालनालय में दिनांक 31.3.2015 को आयोजित की गई । समिति व्दारा अपने प्रतिवेदन **(परिशिष्ट–पांच)** सरल कमांक **(12)** मे आपके प्रकरण **श्री मो0अनवर,**दैनिक वेतन भोगी,जिला चिकित्सालय रतलाम,नियुक्ति दिनांक 30.3.1998 कार्य पर उपस्थिति दिनांक 01.04. 1998.से दिनांक 10.04.2006 तक निरंतर सेवा 10 वर्ष से **कम (8 वर्ष 9 दिवस)** होने के कारण नियमितिकरण हेतु अपात्र किये जाने की अनुशंसा की गई है एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम व्दारा दिनांक 27.09.2012 को नियमित वेतनमान में की गई नियुक्ति आदेश को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की की जाकर प्रस्ताव, सचिव,मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय,भोपाल,की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रेषित किया गया ।

निरंतर.....2

शासन स्तर पर गठित विभाग स्तरीय समिति की बैठक सचिव,मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय,भोपाल की अध्यक्षता में दिनांक 7.04.2015 को सम्पन्न हुई । सम्पन्न बैठक के कार्यवाही विवरण के बिन्दु कमांक 3.4 मे यह निर्णय लिया गया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम,नीमच व्दारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कमशः रतलाम जिले की 22.8..2012 एवं नीमच जिले की दिनांक 27.12.2011 की अनुशंसाओं के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम के आदेश कमांक/स्था. /2012/773,रतलाम,दिनांक 27.9.2012के व्दारा नियमितिकरण आदेश को एवं नीमच जिले के आदेश दिनांक 29.12.2011 को जारी कर नियमितिकरण का लाभ प्रदान किया गया है जबकि इन आदेशो में सम्मिलित कुछ कर्मचारी सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 16.05.2007 मे निर्धारित मापदण्डो अनुसार नियमितिकरण की पात्रता नही रखते थे,जिसमें आपका नाम भी सम्मिलित है ।

चूंकि आपके प्रकरण में जिला रतलाम की विभागीय पदोन्नति समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 22.8.2012 की अनुशंसाओं को सचिव,मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय भोपाल की अध्यक्षयता में गठित समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 07.4.2015 व्दारा निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है **(परिशिष्ट–तीन)** मे सम्मिलित रतलाम जिले के 04 एवं नीम जिले के कुल 11 कर्मचारियों के प्रकरणों में विभागाध्यक्ष स्तर से निर्णय लिये जाने की अनुशंसा की गई है ।

अतः मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय,भोपाल व्दारा आदेश कमांक/एफ 03–03/2016/सत्रह/मेडि–1,भोपाल,दिनांक 04.7.2015 **(परिशिष्ट–चार)** आदेश पारित किये गये कि शासन आदेश के पृष्ट–4,बिन्दु 2.4 में जिला रतलाम एवं नीमच जिले की पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं को निरस्त करते हुये उक्त कर्मचारियों के प्रकरणों में विभागाध्यक्ष स्तर से निर्णय लिया जावे । शासन आदेश के बिन्दु 2.4 की सूची कमांक 2. पर आप **श्री मो0अनवर**, का नाम सम्मिलित है ।

यह कि आपके नियमितिकरण संबंधी प्रकरण में उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के आधार पर आपके व्दारा दिनांक 01.4.1998 से दैनिक वेतन भोगी के रूप में सेवा प्रारंभ की गई है । उक्त शासन परिपत्रों में निहित प्रावधान अनुसार दिनांक 10.4.2006 को आपकी निरंतर सेवा अवधि 10 वर्ष से कम **(8 वर्ष 09दिवस)** होने के कारण,आपका नियमितिकरण आदेश अवैधानिक होना पाया गया है ।

अतः इस सूचना पत्र के माध्यम से आपसे अपेक्षा की जाती है कि सूचना पत्र प्राप्ति उपरांत दिनांक **15.1.2018** को संचालनालय में समक्ष में उपस्थित रहकर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यो न दिनांक 22.8.2012 को पदोन्नति समिति की बैठक में की गई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण संबंधी अनुशंसा निरस्त करते हुये आपका नियमितिकरण आदेश आदेश कमांक/स्थापना/2012/773–82,रतलाम दिनांक 27.9.2012 निरस्त किया जावे ।

यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नही हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नही कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

स्वास्थ्य आयुक्त व्दारा आदेशित ।

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरंतर.....3

पृ0क्रमांक.2/अचि./सेल–दै.वै.भो./2018/20-H भोपाल, दिनांक 08.01.2018

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतः–

1. प्रमुख सचिव,म0प्र0 शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल ।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय ।
3. अतिरिक्त महाधिवक्ता,मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर,म0प्र0 ।
4. कलेक्टर जिला रतलाम, मध्यप्रदेश।
5. उप संचालक,शिकायत/लीगल/गोपनीय,स्थानीय कार्यालय ।
6. क्षैत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवाऐ,उज्जैन सम्भाग उज्जैन,म0प्र0 ।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला, रतलाम की और जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति भेजकर निर्देर्शित किया जाता है कि जारी नोटिस **श्री मो0अनवर**,,तत्कालीन वार्डवाय, सिविल हास्पिटल,जावरा,जिला रतलाम,को तामील कराकर तामीली रिपोर्ट संचालनालय को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से प्रेषित करें ।
8. जिला कोषालय अधिकारी रतलाम,म0प्र0 ।
9. संबंधित **श्री मो0अनवर**,,तत्कालीन वार्डवाय,सिविल हास्पिटल जावरा,जिला रतालम,म0प्र0
10. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की और जारी नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता हैकि जारी नोटिस,विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.2/अवि./सेल–दै.वै.भो./2018/17-H भोपाल, दिनांक 08.01.2018

प्रति,

श्री महेन्द्र सिंह राठौर,
तत्कालीन ओ.टी.अटेण्डेन्ट,
वर्तमान में :– जिला चिकित्सालय रतलाम,म.प्र.

व्दाराः– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,रतलाम,म0प्र0 ।

विषयः– कारण बताओ सूचना पत्र ।

––0000––

यह कि आप कि आप **श्री महेन्द्र सिंह राठौर**,तत्कालीन ओ.टी.अटेण्डेन्ट,जिला चिकित्सालय रतलाम,पदस्थ है। आपका नियमितिकरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,रतलाम के आदेश/स्थापना/2012/773–82,रतलाम दिनांक 27.9.2012 के व्दारा ओ.टी.अटेण्डेन्ट,के पद पर किया गया था **(परिशिष्ट–एक)** पदोन्नति उपरांत आप ओ.टी.अटेण्डेन्ट के पद पर नियमित पद के विरूद्ध कार्यरत है।

यह कि जिला रतलाम,में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,रतलाम,की अध्यक्षता,में दिनांक 22.8.2012 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उपरांत समिति व्दारा आपका नियमितिकरण ओ.टी.अटेण्डेन्ट, के पद पर किये जाने संबंधी अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र कमांकःएफ–5–3/2006/1/3,भोपाल,दिनांक 16.5.2007 एवं परिपत्र कमांक :एफ–5–3/2006/1/3,भोपाल,दिनांक 6.सितम्बर 2008 के अनुसार **(परिशिष्ट –दो)** के संदर्भ में की गई थी । उपरोक्त अनुशंसा के आधार पर तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम,व्दारा रिक्त ओ.टी.अटेण्डेन्ट के पद पर जिला चिकित्सालय रतलाम में नियमितिकरण आदेश जारी किये गये।

प्रकरण के परीक्षण उपरांत **माननीय सर्वोच्च न्यायालय व्दारा सिविल अपील कमांक 3595–3612/1999 सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरूद्ध उमा देवी एवं अन्य के प्रकरण में दिनांक 10.4.2006 को पारित निर्णय के परिपालन** में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ–5–3/2006/1/2006/1/3/दिनांक 16.5.2007परिपत्र कमांक/एफ 05–3/06/1/3 /दिनांक 8.02.2008,परिपत्र कमांक एफःः05–3/06/1/3/दिनांक 23.02.2008,04.04. 2008,परिपयत्र कमांक एफःएफ–05–3/06/1/3/दिनांक 6 सितम्बर 2008 एवं परिपत्र कमांक एफःः05–3/06/1/3/दिनांक 29.सितम्बर 2014 में उल्लेखित प्रावधानो के अंतर्गत, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये है उपरोक्त निर्देशो के माध्यम से दिनांक **10.04.2006 की स्थिति में 10 वर्ष की** सेवा **तथा अन्य मापदण्ड पूर्ण** करने वाले देनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण के संबंध में व्यवस्था दी गई है।

जिला रतलाम के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण हेतु विभागीय छान–बीन समिति की बैठक संचालनालय में दिनांक 31.3.2015 को आयोजित की गई। समिति व्दारा अपने प्रतिवेदन **(परिशिष्ट–पांच)** सरल कमांक(11) मे आपके प्रकरण **श्री महेन्द्रसिंह राठौर**,दैनिक वेतन भोगी,जिला चिकित्सालय रतलाम,नियुक्ति दिनांक 30.3.1998 कार्य पर उपस्थिति दिनांक 01.04.1998.से दिनांक 10.04.2006 तक निरंतर सेवा 10 वर्ष से कम **(8 वर्ष 9 दिवस)** होने के कारण नियमितिकरण हेतु अपात्र किये जाने की अनुशंसा की गई है एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम व्दारा दिनांक **27.09.2012** को नियमित वेतनमान में की गई नियुक्ति आदेश को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की जाकर प्रस्ताव,सचिव,मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय,भोपाल,की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रेषित किया गया।

निरंतर.....2

शासन स्तर पर गठित विभाग स्तरीय समिति की बैठक सचिव,मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय,भोपाल की अध्यक्षता में दिनांक 7.04.2015 को सम्पन्न हुई। सम्पन्न बैठक के कार्यवाही विवरण के बिन्दु कमांक 3.4 यह निर्णय लिया गया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम,नीमच व्दारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कमशः रतलाम जिले की 22.8.2012 एवं नीमच जिले की दिनांक 27.12.2011 अनुशंसाओं के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम,के आदेश कमांक/स्था./2012/773,रतलाम,दिनांक 27.9.2012 के व्दारा नियमितिकरण आदेश को एवं नीमच जिले के आदेश दिनांक 29.12.2011 को जारी कर नियमितिकरण का लाभ प्रदान किया गया है जबकि इन आदेशो में सम्मिलित कुछ कर्मचारी सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 16.05.2007 मे निर्धारित मापदण्डो अनुसार नियमितिकरण की पात्रता नही रखते थे,जिसमे आपका नाम भी सम्मिलित है।

चूंकि आपके प्रकरण में जिला रतलाम की विभागीय पदोन्नति समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 22.8.2012 की अनुशंसाओं को सचिव,मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय,भोपाल की अध्यक्षता में गठित समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 07.04.2015 व्दारा निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है । **(परिशिष्ट–तीन)** मे सम्मिलित रतलाम जिले के 4 एवं नीमच जिले के कुल 11 कर्मचारियों के प्रकरणों में विभागाध्यक्ष स्तर से निर्णय लिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय,भोपाल व्दारा आदेश कमांक/एफ 03–03/2016/सत्रह/मेडि–1,भोपाल,दिनांक 04.7.2015 **(परिशिष्ट–चार)** आदेश पारित किये गये कि शासन आदेश के पृष्ट–4,बिन्दु 2.4 में जिला रतलाम एवं नीमच जिले की पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं को निरस्त करते हुये उक्त कर्मचारियों के प्रकरणों में विभागाध्यक्ष स्तर से निर्णय लिया जावे । शासन आदेश के बिन्दु 2.4 की सूची के सरल कमांक 1 पर आप **श्री महेन्द्र सिंह राठौर** का नाम अंकित है।

यह कि आपके नियमितिकरण संबंधी प्रकरण में उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के आधार पर आपके व्दारा दिनांक 01.4.1998 से दैनिक वेतन भोगी के रूप में सेवा प्रारंभ की गई है। उक्त शासन परिपत्रों में निहित प्रावधान अनुसार दिनांक 10.4.2006 को आपकी निरंतर सेवा अवधि 10 वर्ष से कम **(8 वर्ष 9 दिवस)** होने के कारण,आपका नियमितिकरण आदेश अवैधानिक होना पाया गया है।

अतः इस सूचना पत्र के माध्यम से आपसे अपेक्षा की जाती है कि सूचना पत्र प्राप्ति उपरांत दिनांक **15.1.2018** को संचालनालय में समक्ष में उपस्थित रहकर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यो न दिनांक 22.8.2012 को जिला रतलाम की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में की गई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण संबंधी अनुशंसा निरस्त करते हुये आपका नियमितिकरण आदेश आदेश कमांक/स्थापना/2012/773–82,रतलाम दिनांक 27.9.2012 निरस्त किया जावे।

यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नही हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नही कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार
स्वास्थ्य आयुक्त व्दारा आदेशित ।

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरंतर.....3

पृ0क्रमांक.2 / अवि. / सेल—दै.वै.भो. / 2018 / 18 - H भोपाल, दिनांक 08.01.2018

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतः—

1. प्रमुख सचिव,म0प्र0 शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल ।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय ।
3. अतिरिक्त महाधिवक्ता,मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर,म0प्र0 ।
4. कलेक्टर जिला रतलाम,म0प्र0 ।
5. उप संचालक,शिकायत / लीगल / गोपनीय,स्थानीय कार्यालय ।
6. क्षैत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवाऐ,उज्जैन सम्भाग उज्जैन,म0प्र0 ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय,रतलाम,म0प्र0 ।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला,रतलाम की और जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति भेजकर निर्देर्शित किया जाता है कि जारी नोटिस श्री महेन्द्र सिंह राठौर,तत्कालीन ओ.टी.अटेण्डेन्ट,जिला चिकित्सालय रतलाम को तामील कराकर तामीली रिपोर्ट संचालनालय को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से प्रेषित करें ।
9. जिला कोषालय अधिकारी रतलाम,म.प्र. ।
10. संबंधित **श्री महेन्द्र सिंह राठौर**,,तत्कालीन ओ.टी.अटेण्डेन्ट,जिला चिकित्सालय रत्नालम,म0प्र0
11. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की और जारी नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता हैकि जारी नोटिस,विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश